



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10032026-270791
CG-DL-E-10032026-270791

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1173]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 9, 2026/फाल्गुन 18, 1947

No. 1173]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 9, 2026/PHALGUNA 18, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2026

का.आ. 1225(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आंध्र प्रदेश राज्य के अन्नमयया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 440 के कि.मी. 0+000 से कि.मी. 50+000 (रायचोटी से वेमपल्ली सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जॉइंट कलेक्टर, अन्नमयया जिले, रायचोटी को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के अन्नमयया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 440 के कि.मी. 0+000 से कि.मी. 50+000 (रायचोटी से वेमपल्ली सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश			जिले का नाम: अन्नमयया		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: रायचोटी					
गांव का नाम: रायचोटी					
1	275/1B	निजी	ड्राई	0.02 (एकर)	0.0080939
2	275/3A2	निजी	ड्राई	0.01 (एकर)	0.0040469
3	279/1A2B	निजी	ड्राई	0.01 (एकर)	0.0040469
4	489/4	निजी	ड्राई (डीकेटी)	0.04 (एकर)	0.0161878
5	490/1E2	निजी	ड्राई (डॉटेड)	0.11 (एकर)	0.0445164
6	490/3A2	निजी	ड्राई (डॉटेड)	0.48 (एकर)	0.1942533
7	490/3B	निजी	ड्राई (डॉटेड)	0.07 (एकर)	0.0283286
8	491/1B	निजी	ड्राई (डॉटेड)	0.37 (एकर)	0.1497369
9	491/2B	निजी	ड्राई (डॉटेड)	0.165 (एकर)	0.0667746
10	491/3B	निजी	ड्राई (डॉटेड)	0.06 (एकर)	0.0242817
11	491/4B	निजी	ड्राई (डॉटेड)	0.055 (एकर)	0.0222582
12	491/5B	निजी	ड्राई (डॉटेड)	0.065 (एकर)	0.0263051
13	493/2B	निजी	ड्राई	0.01 (एकर)	0.0040469
14	594/1A2C2	निजी	ड्राई	0.02 (एकर)	0.0080939
15	594/1C2	निजी	ड्राई	0.11 (एकर)	0.0445164
16	989/4A2	निजी	ड्राई	0.025 (एकर)	0.0101174
17	989/4B2	निजी	ड्राई	0.02 (एकर)	0.0080939
गांव का नाम: मासपेट					
18	233/3B	निजी	ड्राई	0.02 (एकर)	0.0080939
19	236/1B	निजी	ड्राई	0.06 (एकर)	0.0242817
20	236/3B	निजी	ड्राई	0.03 (एकर)	0.0121408

तालुक का नाम: लक्कीरेड्डीपल्ली					
गांव का नाम: बी.येरगुडी					
21	1030-2	निजी	ऐ- ड्राई	0.04 (एकर)	0.0161878
22	1087-2	निजी	ड्राई	0.03 (एकर)	0.0121408
23	949	निजी	ड्राई	0.31 (एकर)	0.1254553
24	953/2B	निजी	ड्राई	0.01 (एकर)	0.0040469
25	978/2B	निजी	ड्राई	0.02 (एकर)	0.0080939
26	982/2	निजी	ड्राई	0.3 (एकर)	0.1214083
गांव का नाम: लक्कीरेड्डीपल्ली					
27	1130	निजी	ड्राई	0.1 (एकर)	0.0404695
28	1255	सरकारी	ड्राई (डीकेटी)	0.03 (एकर)	0.0121408
29	715	निजी	ड्राई (डॉटेड)	0.04 (एकर)	0.0161878
30	749	सरकारी	रोड पोराम्बोके	0.21 (एकर)	0.0849858
31	79	निजी	ड्राई	0.007 (एकर)	0.0028329
32	893	निजी	ड्राई	0.01 (एकर)	0.0040469
गांव का नाम: मद्दीरेवुला					
33	2771-LPM	निजी	ड्राई	0.05 (एकर)	0.0202347
34	2772-LPM	निजी	ड्राई	0.1 (एकर)	0.0404695
Total					1.2169161

[फा. सं. RW/NH-12037/1/2021-22/AnnualPlan-AP/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th March, 2026

S.O. 1225(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building, widening, two / four lane with paved shoulders etc., maintenance, management and operation of National Highway No.440 in the stretch of land from Km. 0+000 to Km. 50+000 (Rayachoty to Vempalli Section) in Annamayya district in the state of ANDHRA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Joint Collector, Annamayya District, Rayachoty in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the

objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling in the stretch of land from Km. 0+000 to Km. 50+000 (Rayachoty to Vempalli Section) of NH No.440 in the district of Annamayya in the state of ANDHRA PRADESH

State: ANDHRA PRADESH			District: Annamayya		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Rayachoti					
Village: Rayachoti					
1	275/1B	Private	Dry	0.02 (Acre)	0.0080939
2	275/3A2	Private	Dry	0.01 (Acre)	0.0040469
3	279/1A2B	Private	Dry	0.01 (Acre)	0.0040469
4	489/4	Private	Dry (DKT)	0.04 (Acre)	0.0161878
5	490/1E2	Private	Dry (Dotted)	0.11 (Acre)	0.0445164
6	490/3A2	Private	Dry (Dotted)	0.48 (Acre)	0.1942533
7	490/3B	Private	Dry (Dotted)	0.07 (Acre)	0.0283286
8	491/1B	Private	Dry (Dotted)	0.37 (Acre)	0.1497369
9	491/2B	Private	Dry (Dotted)	0.165 (Acre)	0.0667746
10	491/3B	Private	Dry (Dotted)	0.06 (Acre)	0.0242817
11	491/4B	Private	Dry (Dotted)	0.055 (Acre)	0.0222582
12	491/5B	Private	Dry (Dotted)	0.065 (Acre)	0.0263051
13	493/2B	Private	Dry	0.01 (Acre)	0.0040469
14	594/1A2C2	Private	Dry	0.02 (Acre)	0.0080939
15	594/1C2	Private	Dry	0.11 (Acre)	0.0445164
16	989/4A2	Private	Dry	0.025 (Acre)	0.0101174
17	989/4B2	Private	Dry	0.02 (Acre)	0.0080939
Village: Masapet					
18	233/3B	Private	Dry	0.02 (Acre)	0.0080939
19	236/1B	Private	Dry	0.06 (Acre)	0.0242817
20	236/3B	Private	Dry	0.03 (Acre)	0.0121408
Taluk: Lakkireddypalli					
Village: B.Yerragudi					
21	1030-2	Private	I-Dry	0.04 (Acre)	0.0161878
22	1087-2	Private	Dry	0.03 (Acre)	0.0121408
23	949	Private	Dry	0.31 (Acre)	0.1254553
24	953/2B	Private	Dry	0.01 (Acre)	0.0040469
25	978/2B	Private	Dry	0.02 (Acre)	0.0080939
26	982/2	Private	Dry	0.3 (Acre)	0.1214083

Village: Lakkireddypalli					
27	1130	Private	Dry	0.1 (Acre)	0.0404695
28	1255	Government	Dry (DKT)	0.03 (Acre)	0.0121408
29	715	Private	Dry (Dotted)	0.04 (Acre)	0.0161878
30	749	Government	Road Poramboke	0.21 (Acre)	0.0849858
31	79	Private	Dry	0.007 (Acre)	0.0028329
32	893	Private	Dry	0.01 (Acre)	0.0040469
Village: Maddirevula					
33	2771-LPM	Private	Dry	0.05 (Acre)	0.0202347
34	2772-LPM	Private	Dry	0.1 (Acre)	0.0404695
Total					1.2169161

[F. No. RW/NH-12037/1/2021-22/AnnualPlan-AP/3A]

SAIKH AMINKHAN, Director